प्रकरण 105/2024 प्रार्थना पत्र जेर धारा-251 'क' R.T.Act

केसरसिंह बनाम दलसिंह वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्र 251 'क' पर उपस्थित वकील बहस सुनी। वास्ते आदेश दि. 29.7.24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित प्रार्थी प्रार्थना पत्र जेर धारा 251 'क' R.T.Act पर उपस्थित वकील बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र धारा-251 'क' स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार सिकराय को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 29/7/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–105/2024

उनवान– बनेसिंह वगै. बनाम धर्मसिंह वगै.

प्रार्थना पत्र जेर धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

"प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जा.दी."

निर्णय दिनांकः 19.07.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जा. दी. पेश किया गया कि उनवानी प्रकरण में पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र में आज की तारीख पेशी नियत है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए एल.आर.एक्ट में दिनांकः 20.02.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सहवन से टाईपिंग त्रुटि से जवाब के पैरा नं. 03 व अतिरिक्त कथन के पैरा नं. 01 में खसरा नं. 223 के स्थान पर खसरा नं. 245 दर्ज हो गया। जो गलत इन्द्राज अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर नहीं किया, टाईपिंग त्रुटि की वजह से हुआ है। जिसे कानूनन अप्रार्थीगण को दुरूस्त कराना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 03 व अतिरिक्त कथन के पैरा नं. 01 में खसरा नं. 245 को दुरूस्त कर खसरा नं. 245 के स्थान पर खसरा नं. 223 दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण (प्रार्थीगण) द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने के मकसद से पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय के आदेश से दिनांकः 21.07.2023 को उपतहसीलदार सिकन्दरा द्वारा रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। दिनांकः 01.07.2024 को भी प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया था जिसमें उसके द्वारा खसरा नं. 245 में होकर रास्ता नही होना और जवाब में गलती से लिखना माना था। प्रार्थीगण द्वारा 50/रूपये के स्टाम्प पर पेश शपथ पत्र के पैरा नं. 01 में खसरा नं. 241, 244 के स्थान पर खसरा नं. 245 अंकन हो गया है जो गलत है दर्ज किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र झूँठा एवं गलत है। प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि खसरा नं. 245 का अंकन 241, 244 के स्थान पर हुआ है जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण जवाब में खसरा नं. 245 का अंकन 223 के स्थान पर दर्ज होना बता रहे हैं जो उनके विरोधाभास का स्पष्ट प्रमाण है।

प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जा. दी. पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

हमने बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 [illegible] एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] पत्र के पैरा नं. 03 व अतिरिक्त कथन के पैरा नं. 01 में खसरा नं. 245 को दुरूस्त [illegible] 245 के स्थान पर खसरा नं. 223 दुरूस्त करने का निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन से [illegible] है कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांकः 01.07.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 245 में [illegible] नही होना और जवाब में गलती से लिखना माना है। प्रार्थीगण द्वारा पेश शपथ पत्र में भी खसरा नं. 241, 244 के स्थान पर खसरा नं. 245 अंकन हो गया है जो गलत है अंकित किया है। जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने जवाब में खसरा नं. 245 के स्थान पर 223 दर्ज करने का निवेदन किया है। उपरोक्त अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण रास्ता हेतु विवादित खसरा नंबरान बाबत अस्पष्ट एवं विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न कर प्रकरण को जानबूझकर देरी करना चाहते है। प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय दौसा द्वारा प्रकरण का 15 दिवस की अवधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण बहस में नियत है। प्रकरण में इस स्तर पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र. व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जा. दी. पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

19/7/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

बांदीकुई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या पुराना– 36/2023 नया– 105/2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः 29.07.2024

उनवान

1. बनेसिंह
2. बाबूलाल
3. मक्खन
4. शिवलाल

पुत्रान कंचन जाति गुर्जर निवासी बडली तहसील सिकराय जिला दौसा

5. मूल्या पुत्र गंगासहाय

बनाम

1. [illegible]सिंह पुत्र मूल्या
2. रूमाली पुत्री मूल्या
3. हंसराज पुत्र परत्या

समस्त जाति गुर्जर निवासी बडली तहसील सिकराय जिला दौसा

4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सिकराय जिला दौसा राजस्थान।

प्रार्थना पत्र जेर धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय::

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र जेर धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि आराजी खेवट खतौनी सं. नया 51 पुराना 50 खसरा नं. 110, 218, 232, 241 एवं 41 कुल किता 05 कुल रकबा 3.79 हैक्ट. रामा मौजा बडली तह. सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण हैं प्रार्थीगण की माता जमना पत्नि कंचन का स्वर्गवास करीब एक माह पूर्व हो गया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त हैं। आराजी भूमि खेवट खतौनी सं. नया 61 पुराना 59 खसरा नंबर 17, 220, 242, 243, 244 एवं 44 कुल किता 06 कुल रकबा 4.34 हैक्ट. रामा मौजा बडली तहसील सिकराय में स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 हैं। आराजी भूमि खसरा नं. 241 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसके लगते सडक गीजगढ से बडली के लगते खसरा नं. 244 अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण को अपनी आपबाशी पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है प्रार्थीगण अर्सा दराज करीब 70 साल से आज दिन तक कदमी रास्ता बरंग सुर्ख खसरा नंम्बर 244 में होकर आते जाते रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नही रहा है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 244 जो सडक गीजगढ से ग्राम बडली को जाने वाले के किनारे–किनारे पिल्लर (खम्भे) लगाकर तारबन्दी कर दी गई है तथा प्रार्थी की खसरा नंबर 241 व 244 के मध्य डौला पर भी पिल्लर (खम्भे) लगाकर तारीबन्दी लगाकर प्रार्थीगण का अर्सा दराज से चले आ रहे रास्ते को बन्द करने को आमादा हो रहे हैं जिससे प्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

......ची खातेदारी भूमि में होकर पूर्व से आज

भारी परेशानी का सामना करना पडेगा प्रार्थी की मवेशी, हल, बेल, ट्रैक्टर गाडी निकलने में भारी असुविधा व परेशानी का सामना करना पडेगा। आराजी भूमि खसरा नं. 241 की वर्तमान फसल आषाढ बुवाई के लिए रास्ता नहीं होने पर ट्रैक्टर, हल आदि नहीं जा सकेंगें और प्रार्थीगण काश्त बुआई से महरूम हो जावेंगे। प्रार्थीगण के पास आय का एकमात्र साधन कृषि भूमि है जिस पर फसल बुवाई नहीं हो सकी तो प्रार्थीगण के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। इसलिए आराजी भूमि खसरा नं. 244 बरंग सुर्ख दर्शित रास्ता निकलवाय जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 241 में प्रार्थीगण के हल बैल, मवेशी, ट्रैक्टर, गाडी निकालने के लिये व आने जाने के लिये प्रार्थीगण को आराजी भूमि खसरा नंबर 244 बरंग सुर्ख दर्शित रास्ता विधि अनुरूप दिलाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 03 की ओर से एडवोकेट श्री प्रकाश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में उपतहसीलदार (भू.अ.) सिकन्दरा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मय भू. अभिलेख निरीक्षक व पटवारी मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्राप्त होने पर प्रकरण में माननीय न्यायालय को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण निर्णय दिनांकः 20.06.2024 की पालना में पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिकराय से प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांकः 20.06.2024 द्वारा प्रकरण का 15 दिवस की अवधि में निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 05 की ओर से श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ने वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री मीठालाल गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी धर्मसिंह वगै. की ओर से खसरा नं. 245 से कोई रास्ता नहीं होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा नो–ओब्जेक्शन किया गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थी द्वारा दस्तावेज सूची के साथ शपथ पत्र बच्चूसिंह, लाल बहादुर, रामसिंह, गिर्राज, लोहडीराम, मूलचन्द, अमरसिंह के पेश किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री अमरसिंह गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जर्ये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 व धारा 151 जा. दी. पेश किया गया, जो पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए एल.आर.एक्ट प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट पेश किया गया। अप्रार्थीगण वकील द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया। प्रार्थीगण (अप्रार्थी) धर्मसिंह वगै. द्वारा प्रार्थना पत्र ओदश 19 नियम 2 व धारा 151 जा.दी., प्रार्थना पत्र बाबत धारा 151 जा. दी. एवं प्रार्थना पत्र बाबत अवसर तारीख पेशी बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय प्रदान करने हेतु पेश किये गये। अप्रार्थीगण (प्रार्थीगण) वकील द्वारा प्रार्थना पत्रों का जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस करनी चाही। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण (अप्रार्थीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ओदश 19 नियम 2 व धारा 151 जा.दी., प्रार्थना पत्र बाबत धारा 151 जा. दी. एवं प्रार्थना पत्र बाबत अवसर रीख पेशी बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय प्रदान करने हेतु पोषणीय नहीं होने खारिज किये गये।

प्रार्थना पत्र धारा 251 'क' आर.टी. एक्ट पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थना जवाब प्रार्थना पत्र व प्रकरण में उपतहसीलदार (भू.अ.) सिकन्दरा द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक ा भू. अभिलेख निरीक्षक व पटवारी मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गण वकील द्वारा बहस में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 241 में प्रार्थीगण के हल ट्रैक्टर, गाडी निकालने के लिये व आने जाने के लिये प्रार्थीगण को आराजी भूमि 14 बरंग सुर्ख दर्शित रास्ता विधि अनुरूप दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

अप्रार्थीगण वकील द्वारा बहस में प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होकर पूर्व से आज दिन तक कोई रास्ता नहीं होना और ना ही कोई पगडंडीनुमा रास्ता होना बताया तथा प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। मुताबिक उपतहसीलदार (भू.अ.) सिकन्दरा एवं भू. अभिलेख निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट के प्रार्थीगण के पास वर्तमान में कोई पहुँच मार्ग मौका मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण के पास उसके द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण खसरा नं. 244 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 241 तक रास्ता लेना चाहता है, जिसके लिए प्रस्तावित नजरी नक्शा संलग्न है। जिसमें लंबाई 50 मीटर चौडाई 4 मीटर कुल 200 वर्गमीटर भूमि है। डी.एल.सी. दर 1713983 प्रति हैक्टेयर से प्रस्तावित भूमि की 34279.66 रूपये है। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली व प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर प्रकट है कि प्रार्थीगण के पास वर्तमान में कोई पहुँच मार्ग मौका मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण के पास उसके द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा द्वारा प्रकरण का 15 दिवस की अवधि में निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

अत उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र जेर धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 241 में प्रार्थीगण के हल बैल, मवेशी, ट्रैक्टर, गाडी निकालने के लिये व आने जाने के लिये प्रार्थीगण को आराजी भूमि खसरा नंबर 244 बरंग सुर्ख दर्शित रास्ता संलग्न भू. अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का नजरी नक्शा के अनुसार विधि अनुरूप दिये जाने हेतु काबिज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों के हिस्से में से अवाप्त की जाती है। रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में अवाप्त भूमि 200 वर्गमीटर की मुआवजा राशि प्रचलित डी.एल. सी. दर से दोगुनी राशि तहसीलदार सिकराय को विधिवत जमा करावे। तहसीलदार सिकराय वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करें। पालना हेतु तहसीलदार सिकराय को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

29/7/24

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner